



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियों 1- कुंवरगेठा, 2-सतीश, 3-बिडू, 4-सीटू, 5-लोकेश उर्फ लोकेन्द्र प्रत्येक को हुई 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-कुंवरगेठा पुत्र नवाब उर्फ शीशपाल, 2-सतीश पुत्र महक सिंह, 3-बिडू पुत्र कृष्णपाल, 4-सीटू पुत्र कृष्णपाल, 5- लोकेश उर्फ लोकेन्द्र पुत्र सत्यपाल निवासीगण ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 696/2004 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1-कुंवरगेठा, 2-सतीश, 3-बिडू, 4-सीटू, 5-लोकेश उर्फ लोकेन्द्र प्रत्येक को हुई 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 10.04.2025

थाना खेकडा पुलिस द्वारा विधुत ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से विधुत ट्रांसफार्मरों से चोरी का सामान, घटना में प्रयुक्त उपकरण तथा घटना में प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट बरामद।

संक्षिप्त

विवरण-

दिनांक

27.03.2025

को थाना

खेकडा पर

वादी श्री अक्षय

नैन S/O सूर्य

प्रकाश जैन

पता जैन

कालेज रोड



पट्टी रामपुर सीताराम मंदिर के पास मुबारिकपुर रोड खेकड़ा बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की खेकड़ा में छोटी नहर पर (श्री गिरिराज टेक्सटाइल) फैक्ट्री से दिनांक 08/03/2025 को प्राइवेट ट्रांसफार्मर के अंदर का पूरा सामान चोरी कर लिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 105/25 धारा 303(2) बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस ने विधुत ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग के 05 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से विधुत ट्रांसफार्मरों से चोरी किया हुआ सामान 10 कोइल तांबा छोटी व 03 कोइल तांबा बडी बिजली के ट्रांसफार्मर वजन लगभग 185 किलोग्राम, घटना में प्रयुक्त उपकरण- आरी के 02 ब्लेड, तेल निकालने वाला 01 पाइप, एक इंजी लम्बाई करीब 2.5 फीट प्लास्टिक, एक लोहे की चैन 2 मीटर, 01 पाइप रिन्च, 01 तार कटर बडा तथा घटना में प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट नं0 UP17L7039 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर जनपद बागपत, जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद शामली, जनपद गाजियाबाद, जनपद गौतमबुद्धनगर, जनपद बुलन्दशहर, जनपद मेरठ व जनपद हापुड से सैकड़ों ट्रांसफार्मर काट कर उनका सामान चोरी करना स्वीकार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राजकुमार पुत्र भजनदास निवासी काशीराम कालोनी मलकपुर रोड थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. फरयाद पुत्र फयाज निवासी काशीराम कालोनी मलकपुर रोड थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. विकास पांचाल पुत्र विनोद निवासी गुराना रोड विजयनगर थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. विकास पुत्र जयपाल निवासी नेहरू रोड गली न0 03 शान्तिपुरम थाना बडौत जनपद बागपत।
5. राहुल पुत्र महेन्द्र निवासी सैदपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 10 कोइल तांबा छोटी व 03 कोइल तांबा बडी बिजली के ट्रांसफार्मर की वजन लगभग 185 किलोग्राम ।
- घटना में प्रयुक्त उपकरण- आरी के 02 ब्लेड, तेल निकालने वाला 01 पाइप, एक इंजी लम्बाई करीब 2.5 फीट प्लास्टिक , एक लोहे की चैन 2 मीटर, 01 पाइप रिन्च, 01 तार कटर बडा ।
- घटना में प्रयुक्त एक अदद कार स्विफ्ट रजिस्ट्रेशन नं0 UP17L7039 सीजशुदा

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

राजकुमार पुत्र भजनदास निवासी काशीराम कालोनी थाना बडौत जनपद बागपत

!

1. मु0अ0सं0 288/24 धारा 279/338 थाना बडौत जनपद बागपत

विकास पुत्र विनोद निवासी गुराना रोड थाना बडौत जनपद बागपत

1. मु0अ0सं0 08/22 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत
2. मु0अ0सं0 562/24 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत

उपरोक्त मुकदमों के अलावा समस्त अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास निम्नवत है-

थाना खेकडा जनपद बागपत

1. मु0अ0सं0 116/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत
2. मु0अ0सं0 105/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत

थाना एपीटी जनपद बागपत(कुल 48 अभियोग)-

1. मु0अ0सं0 119/23 धारा 136 वि0 अधि0 2. मु0अ0सं0 834/23 धारा 136 वि0अधि0
3. मु0अ0सं0 1446/23 धारा 136 वि0अधि0 4. मु0अ0सं0 2743/23 धारा 136 वि0अधि0
5. मु0अ0सं0 2978/23, धारा 136 वि0अधि0, 6 मु0अ0सं0 2981/23, धारा 136
वि0अधि0, 7. मु0अ0सं0 2982/23, धारा 136 वि0अधि0,8. मु0अ0सं0 2988/23, धारा
136 वि0अधि0, 9. मु0अ0सं0 2992/23, धारा 136 वि0अधि0, 10. मु0अ0सं0 3003/23,
धारा 136 वि0अधि0, 11. मु0अ0सं0 3007/23, धारा 136 वि0अधि0, 12. मु0अ0सं0
3025/23, धारा 136 वि0अधि0, 13. मु0अ0सं0 28/24, धारा 136 वि0अधि0, 14.
मु0अ0सं0 74/24, धारा 136 वि0अधि0, 15. मु0अ0सं0 407/24, धारा 136 वि0अधि0,
16. मु0अ0सं0 472/24, धारा 136 वि0अधि0, 17. मु0अ0सं0 693/24, धारा 136
वि0अधि0, 18. मु0अ0सं0 1288/24, धारा 136 वि0अधि0, 19. मु0अ0सं0 1289/24, धारा
136 वि0अधि0, 20. मु0अ0सं0 1314/24, धारा 136 वि0अधि0, 21. मु0अ0सं0 1336/24,
धारा 136 वि0अधि0, 22. मु0अ0सं0 1387/24, धारा 136 वि0अधि0, 23. मु0अ0सं0
1390/24, धारा 136 वि0अधि0, 24. मु0अ0सं0 1416/24, धारा 136 वि0अधि0, 25.
मु0अ0सं0 1434/24, धारा 136 वि0अधि0, 26. मु0अ0सं0 1446/24, धारा 136
वि0अधि0, 27. मु0अ0सं0 1473/24, धारा 136 वि0अधि0, 28. मु0अ0सं0 1481/24, धारा
136 वि0अधि0, 29. मु0अ0सं0 1552/24, धारा 136 वि0अधि0, 30. मु0अ0सं0 1662/24,
धारा 136 वि0अधि0, 31. मु0अ0सं0 1673/24, धारा 136 वि0अधि0, 32. मु0अ0सं0
1695/24, धारा 136 वि0अधि0, 33. मु0अ0सं0 1696/24, धारा 136 वि0अधि0, 34.
मु0अ0सं0 1701/24, धारा 136 वि0अधि0, 35. मु0अ0सं0 2247/24, धारा 136
वि0अधि0, 36. मु0अ0सं0 2258/24, धारा 136 वि0अधि0, 37. मु0अ0सं0 2363/24, धारा
136 वि0अधि0, 38. मु0अ0सं0 2387/24, धारा 136 वि0अधि0, 39. मु0अ0सं0 46/25,
धारा 136 वि0अधि0, 40. मु0अ0सं0 89/25, धारा 136 वि0अधि0, 41. मु0अ0सं0
240/25, धारा 136 वि0अधि0, 42. मु0अ0सं0 242/25, धारा 136 वि0अधि0, 43.
मु0अ0सं0 259/25, धारा 136 वि0अधि0, 44. मु0अ0सं0 260/25, धारा 136 वि0अधि0,
45. मु0अ0सं0 265/25, धारा 136 वि0अधि0, 46. मु0अ0सं0 270/25, धारा 136
वि0अधि0, 47. मु0अ0सं0 343/25, धारा 136 वि0अधि0, 48. मु0अ0सं0 351/25, धारा
136 वि0अधि0 थाना एपीटी बागपत जनपद बागपत

थाना एपीटी जनपद हापुड (कुल 05 अभियोग)

1. मु0अ0सं0 297/25, धारा 136 वि0अधि0, 2. मु0अ0सं0 341/25, धारा 136
वि0अधि0, 3. मु0अ0सं0 389/25, धारा 136 वि0अधि0, 4. मु0अ0सं0 364/25,
धारा 136 वि0अधि0, 5. मु0अ0सं0 96/25, धारा 136 वि0अधि0

थाना एपीटी गाजियाबाद (कुल 38 अभियोग)

1. मु0अ0सं0 366/24, धारा 136 वि0अधि0, 2. मु0अ0सं0 391/24, धारा 136 वि0अधि0,
3. मु0अ0सं0 376/24, धारा 136 वि0अधि0, 4. मु0अ0सं0 492/24, धारा 136 वि0अधि0,
5. मु0अ0सं0 536/24, धारा 136 वि0अधि0, 6 मु0अ0सं0 545/24, धारा 136 वि0अधि0,
7. मु0अ0सं0 555/24, धारा 136 वि0अधि0, 8. मु0अ0सं0 817/24, धारा 136 वि0अधि0,
9. मु0अ0सं0 1254/24, धारा 136 वि0अधि0, 10. मु0अ0सं0 1280/24, धारा 136 वि0अधि0,
11. मु0अ0सं0 1281/24, धारा 136 वि0अधि0, 12. मु0अ0सं0 1311/24, धारा 136 वि0अधि0,
13. मु0अ0सं0 2645/24, धारा 136 वि0अधि0, 14. मु0अ0सं0 2671/24, धारा 136 वि0अधि0,
15. मु0अ0सं0 2730/24, धारा 136 वि0अधि0, 16. मु0अ0सं0 2886/24, धारा 136 वि0अधि0,
17. मु0अ0सं0 2885/24, धारा 136 वि0अधि0, 18. मु0अ0सं0 2777/24, धारा 136 वि0अधि0,
19. मु0अ0सं0 2698/24, धारा 136 वि0अधि0, 20. मु0अ0सं0 2621/24, धारा 136 वि0अधि0,
21. मु0अ0सं0 2974/24, धारा 136 वि0अधि0, 22. मु0अ0सं0 2971/24, धारा 136 वि0अधि0,
23. मु0अ0सं0 2998/24, धारा 136 वि0अधि0, 24. मु0अ0सं0 2963/24, 25. मु0अ0सं0 206/25, धारा 136 वि0अधि0
26. मु0अ0सं0 713/25, धारा 136 वि0अधि0 27. मु0अ0सं0 863/25, धारा 136 वि0अधि0का
28. मु0अ0सं0 907/25, धारा 136 वि0अधि0 29. मु0अ0सं0 947/25, धारा 136 वि0अधि0
30. मु0अ0सं0 948/25, धारा 136 वि0अधि0 31. मु0अ0सं0 993/25, धारा 136 वि0अधि0
32. मु0अ0सं0 994/25, धारा 136 वि0अधि0 33. मु0अ0सं0 995/25, धारा 136 वि0अधि0
34. मु0अ0सं0 1014/25, धारा 136 वि0अधि0 35. मु0अ0सं0 1017/25, धारा 136 वि0अधि0
36. मु0अ0सं0 1019/25, धारा 136 वि0अधि0 37. मु0अ0सं0 1022/25, धारा 136 वि0अधि0
38. मु0अ0सं0 1023/25, धारा 136 वि0अधि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री कैलाश चन्द थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
3. उ0नि0 भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
4. है0का0 289 शैलेन्द्र सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
5. है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
6. है0का0 177 अशोक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
7. है0का0 353 नरेश थाना खेकडा जनपद बागपत ।
8. का0 789 योगेन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत ।
9. का0 1048 मुनेन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 10.का0 685 दीपकाँ थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 11.का0 04 रवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट का आरोपी गौरव उर्फ मुल्ला को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 माह का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त गौरव उर्फ मुल्ला पुत्र गंगाशरण निवासी ठिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 87/20 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गौरव उर्फ मुल्ला को दोषी पाते हुए 05 माह के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-10.04.2025

थाना दोघट पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अरविन्द पुत्र महीपाल निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-गुलबहार पुत्र राजपाल निवासी मुजफ्फरपुर कनवाडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 10.04.2025

थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 128/25 धारा
61(2)/316(5)/317(2)बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को मा० न्यायालय से
पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशांदाही पर गबन किये
5,26,12,700 रुपये में से 5 लाख रुपये बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.25 को वादी श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह हाल प्रबंधक सीएमएसमेरठ निवासी तेजबिहार रोहटा रोड थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-गौरव तोमर पुत्र कुलदीप सिंह निवासी ग्राम जोहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत, 2-राँकी मलिक पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना व जनपद शामली के द्वारा सीएमएस कम्पनी मे कस्टोडियन का कार्य करते हुये, बैंको से कुल 5,26,12,700 रुपये कैश एटीएम में जमा कराने



के लिये लिए गये किन्तु अभियुक्तों द्वारा रूपयों को एटीएम में जमा न कराकर गबन कर लिया गया । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु०अ०सं० 128/25 धारा 316(5) बीएनएस पंजीकृत

किया गया था।

कार्यवाही-----

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5)/61(2)/317(2)बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तों में से मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त गौरव पुत्र अरुण निवासी ग्राम आरिफपुर खेड़ी (अंगदपुर जौहड़ी) थाना बिनौली जनपद बागपत की निशांदेही पर मुकदमा उपरोक्त में गबन किये गये 5,26,12,700 रुपये में से 5 लाख रुपये बरामद हुए हैं। अब तक कुल 4,97,35,160 रु0 बरामद किये जा चुके हैं। गबन की गई राशि का 94 प्रतिशत से अधिक धनराशि को बरामद किया जा चुका है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र अरुण निवासी ग्राम आरिफपुर खेड़ी (अंगदपुर जौहड़ी) थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 5 लाख रुपये (अभियुक्त गौरव की निशांदेही पर बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत , बागपत
- 3-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत , बागपत
- 4-है0का0 425 वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत ,बागपत
- 5- है0का0 661 गंगाप्रसाद थाना बडौत , बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 10.04.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ 08 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 थार गाडी व 01 आयसर कैंटर व 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 02 अवैध चाकू, 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

कार्यवाही -

दिनांक

10.04.2025 को थाना बडौत पुलिस टीम व सर्विलांस टीम चैकिंग कर रही थी । चैकिंग के दौरान 02 थार गाडी व 01 कैंटर को रूकने का इशारा किया गया उक्त गाडियों में सवार अभियुक्तों द्वारा गाडियों को न रोकते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया गया पुलिस पार्टी द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर बाद पुलिस मुठभेड़ 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 थार गाडी व 01 आयसर कैंटर व 02 अवैध तमंचा .315



बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 02 अवैध चाकू, 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-रामवीर पुत्र रतनलाल निवासी मंदीखेडा थाना नगीना जनपद नूंह मेवात।
- 2-सालीम पुत्र रुकमुद्दीन निवासी ग्राम गंडोढी नूंह मेवात।
- 3-युसुफ पुत्र आस मौहम्मद निवासी थाना नगीना जनपद नूंह मेवात।
- 4-नदीम पुत्र नूर मौहम्मद अकबर निवासी खालापार थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।
- 5-मुबारिक पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी ग्राम नांगल मुबारिकपुर थाना नगीना जनपद नूंह।
- 6-संजू उर्फ राजू पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम व थाना गाजी जनपद अलवर।
- 7-गबरू पुत्र मुंशीराम निवासी ग्राम व थाना बाणसूर जनपद अलवर।
- 8-बिनलादेन पुत्र बली मौहम्मद निवासी ग्राम घासहेडा थाना नगीना जनपद नूंह।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 थार गाडी।
- 01 आयसर कैंटर।
- 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर।
- 02 अवैध चाकू व 02 फर्जी नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बड़ौत जनपद बागपत
- 2-निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम बागपत
- 3-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 5-उ0नि0 श्री बिरजू शर्मा थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 6-उ0नि0 श्री मुन्नालाल थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 7-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 8-है0का0 629 भारत भाटी थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 9-है0का0 22 अमित नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत।

- 10-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपता
11-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपता
12-का0 550 अनिल कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपता
13-का0 1059 पियुष यादव थाना बड़ौत जनपद बागपता
14-का0 64 भूपेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपता
15-का0 525 महेशचन्द थाना बड़ौत जनपद बागपता
16-का0 1070 नरेश कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपता



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 10.04.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावला अहीर पर

मु0अ0सं0 130/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सौरभ पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अखिलेश यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-है०का० 660 नरेन्द्र कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-है०का० 210 दानवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



दिनांक 10.04.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 202/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की गयी मो०सा० प्लेटीना नं० UP 17 K 8194 बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.04.2025 को थाना बड़ौत पर वादी श्री शुभम राठी पुत्र बिरसैन राठी नि0 बावली चुंगी अनिल गैस गोदाम करबा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 05.04.25 को अज्ञात चोर द्वारा मेरी मोटर साईकिल प्लेटिना रजिस्ट्रेशन नम्बर UP17K8194 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 202/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 202/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से चोरी की हुई मो0सा0 प्लेटिना रजिस्ट्रेशन नम्बर UP17K8194 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. कपिल पुत्र सतेन्द्र निवासी पट्टी चौधरान थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की गयी मो0सा0 प्लेटिना रजिस्ट्रेशन नम्बर UP-17-K 8194



गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-का0 1102 सुशान्त सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-का0 1030 शुभम सारस्वत थाना बडौत जनपद बागपत ।

